प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं. 5784/ 2022

श्रीमती सीता ठाकुर, पति- स्वर्गीय रमेश कुमार ठाकुर, आयु- लगभग 55 वर्ष, निवासी- ग्राम खौना, पोस्ट और थाना- सिलियारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ राज्य, द्वारा- सचिव, सहकारी समितियां, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – अतिरिक्त रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, द्वारा- अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू- मंडी पंडरी, ग्रेट ईस्टर्न-रोड, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- **उत्तरवादी**

रिट याचिका (सेवा) सं. 5104/ 2023

रुद्र प्रताप सिंह गौर, पिता- स्वर्गीय बीर सिंह गौर, आयु- लगभग 61 वर्ष, वर्तमान में अतिरिक्त सहायक प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, के रूप में कार्यरत; निवासी- 325, शीतला चौक, मठपारा, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, सहकारी समितियां, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – अतिरिक्त रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, द्वारा- अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू-मंडी पंडरी, ग्रेट ईस्टर्न-रोड, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (सेवा) सं. 5736/ 2023</u>

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, पिता- स्वर्गीय बालकृष्ण पाण्डेय, आयु- लगभग 57 वर्ष, वर्तमान में सहायक लेखाकार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, के रूप में कार्यरत; निवासी- हर्ष कुंज, कैलाशपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, सहकारी समितियां, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – अतिरिक्त रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, द्वारा- अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू-मंडी पंडरी, ग्रेट ईस्टर्न-रोड, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- **उत्तरवादी**

<u>रिट याचिका सेवा (सं.) 5671/ 2023</u>

1 - श्रीमती आशा नगरिया, पति- श्री कमल किशोर नगरिया, आयु- लगभग 61 वर्ष, वर्तमान में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) में शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थ

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 - सुशील चंद्र सोनी, पिता- स्वर्गीय भवानी शंकर सोनी, आयु- लगभग 61 वर्ष, वर्तमान में शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

3 - अहमद खान, पिता- स्वर्गीय एन. खान, आयु- लगभग 51 वर्ष, वर्तमान में सहायक लेखाकार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

4 - बसंत कुमार यादव, पिता- स्वर्गीय केजुराम यादव, आयु लगभग 53 वर्ष, वर्तमान में सहायक लेखाकार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

5 - नोहर सिंह वर्मा, पिता- स्वर्गीय पुनाराम वर्मा, आयु- लगभग 54 वर्ष, वर्तमान में सहायक लेखाकार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

6 - राम नारायण यादव, पिता- श्री दशरथ यादव, आयु- लगभग 55 वर्ष, वर्तमान में सहायक लेखाकार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

7 – किरण बांधे, पति- श्री अजय कुमार बांधे, आयु- लगभग 50 वर्ष, सहायक लेखाकार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

8 - घनश्याम कुमार वर्मा, पिता- स्वर्गीय चतुर सिंह वर्मा, आयु- लगभग 46 वर्ष, वर्तमान में लिपिक (लिपिक (क्लर्क)), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

9 - पूनम ध्रुव नागवंशी, पति- तनेश्वर कुमार नागवंशी, आयु- लगभग 39 वर्ष, वर्तमान में लिपिक (क्लर्क), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

10 - श्रीमती राजकुमारी यादव, पति- स्वर्गीय मुरली यादव, आयु- लगभग 60 वर्ष, वर्तमान में चपरासी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

11 - श्रीमती मधु यादव, पति- स्वर्गीय प्रेमलाल यादव, आयु- लगभग 53 वर्ष, वर्तमान में चपरासी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

12 - श्रीमती अम्बिका साहू, पति- स्वर्गीय सुरेश साहू, आयु- लगभग 45 वर्ष, वर्तमान में चपरासी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, सहकारी समितियां, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – अतिरिक्त रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, द्वारा- अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू-मंडी पंडरी, ग्रेट ईस्टर्न-रोड, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- **उत्तरवादी**

<u>रिट याचिका (सेवा) सं. 2171/ 2024</u>

1 - मुकेश पटेल, पिता- स्वर्गीय भागवत राम पटेल, आयु- लगभग 46 वर्ष, वर्तमान में लिपिक (क्लर्क) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, के रूप में पदस्थ, निवासी- शीतला मंदिर, संतोषी नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - अरुण कुमार सेन, पिता- रामशंकर सेन, आयु- लगभग 53 वर्ष, वर्तमान में सहायक लेखाकार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, के रूप में पदस्थ, निवासी- सेक्टर-3, झण्डा चौक, मिश्रानंद नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3 - विष्णु प्रसाद वर्मा, पिता- प्यारेलाल वर्मा, आयु- लगभग 56 वर्ष, वर्तमान में सोसाइटी मैनेजर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, के रूप में पदस्थ, निवासी- ग्राम करहिडीह, पोस्ट- खौली, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 – रणछोड़ सिंह ठाकुर, पिता- स्वर्गीय गोविंद सिंह ठाकुर, आयु- लगभग 60 वर्ष, वर्तमान में शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, के रूप में पदस्थ, निवासी- प्रोफेसर कॉलोनी, सी. नंबर 3 एस. नंबर 7, एम. एच. 6, राजपूत निवास रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, सहकारी समितियां, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – अतिरिक्त रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, द्वारा- अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू-मंडी पंडरी, ग्रेट ईस्टर्न-रोड, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- **उत्तरवादी**

<u>रिट याचिका (सेवा) सं. 2478/ 2024</u>

कुलेश्वर यादव, पिता- स्वर्गीय श्री आनंदराम यादव, आयु- लगभग 58 वर्ष, निवासी- मकान सं. 34, सड़क सं. 1, सेक्टर 1, दुर्गा चौक के पास, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर, तहसील और जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, सहकारी समितियां, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – अतिरिक्त रजिस्ट्रार (पंजीयक), सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, ब्लॉक 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, द्वारा- अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू-मंडी पंडरी, ग्रेट ईस्टर्न-रोड, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- **उत्तरवादी**

(वाद- शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

(रिट याचिका सं. 5784/2022, 5104/2023, 5671/2023, 5736/2023 और 2171/2024 में) याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री वरुण शर्मा, अधिवक्ता

(रिट याचिका सं. 2478/2024 में) याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री गगन तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी- राज्य की ओर से : श्री अखिलेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी- बैंक की ओर से : श्री संदीप दुबे, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

19/02/2025

1. रिट याचिका (सेवा) सं. 5784/2022, 5104/2023, 5671/2023, 5736/2023 और 2171/2024 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण शर्मा तथा रिट याचिका (सेवा) सं. 2478/2024 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गगन तिवारी को सुना गया। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार के साथ-साथ उत्तरवादी- बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप दुबे को भी सुना गया।

2. चूँकि इन रिट याचिकाओं में एक ही प्रश्न सम्मिलत है, इसलिए उन्हें एक साथ सुना जाता है और एक ही आदेश द्वारा उन्हें निपकृत किया जा रहा है।

3. रिट याचिकाओं के इन समूह में याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक, अतिरिक्त सहायक प्रबंधक, सोसायटी प्रबंधक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, लिपिक और चपरासी आदि जैसे

विभिन्न पदों पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (संक्षेप में, "बैंक") के कर्मचारी हैं। रिट याचिकाओं के इन समूह में 01.04.2021 के प्रभाव से याचिकाकर्ताओं के वार्षिक वेतनवृद्धि से इनकार/को रोकने के संबंध में एक ही शिकायत है।

4. सुविधा की दृष्टि से, रिट याचिका (सेवा) सं. 5671/2023 को शीर्ष प्रकरण माना जा रहा है।

5. रिट याचिका (सेवा) सं. 5671/2023 में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत की मांग की है :-

> **"i**. उत्तरवादियों से प्रकरण के अभिलेख मंगाए जाने की कृपा हो।
>
> **ii**. उत्तरवादी सं. 2/सहकारी समितियों के पंजीयक (रजिस्ट्रार), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए 15.03.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक **P**/1) को कृपया दरकिनार और अपास्त किया जाए।
>
> **iii**. उत्तरवादी सं. द्वारा जारी किए गए दिनांकित 06.01.2020 (अनुलग्नक **P**/1ए) के आक्षेपित आदेश को कृपया अपास्त ना और रद्द करना ।2/पंजीयक, सहकारी समितियाँ अब तक यह याचिकाकर्ताओं के वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने के अधिकार को सीमित करने से संबंधित है।
>
> **iv**. उत्तरवादी सं. द्वारा जारी किए गए दिनांकित 22.01.2020 (अनुलग्नक **P**/2) के खंड 7 को कृपया अपास्त ना और रद्द करना।4/जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित।
>
> **v**. कृपया उत्तरवादियों को याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों में बदलाव नहीं करने का निर्देश देना और याचिकाकर्ता डब्ल्यू. ई. एफ.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

01.04.2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि को बकाया और 10 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ जारी करना।

vi. कृपया कोई अन्य आदेश देना जिसे उचित और प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत माना जा सके, जिसमें उत्तरवादी सं.2."

6. संक्षेप में, सभी मामलों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता पिछले कई दशकों से बिना किसी दोष के और अधिकारियों की संतुष्टि के अनुरूप उत्तरवादी-बैंक के कार्यरत कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ता क्रमशः शाखा प्रबंधक, अतिरिक्त सहायक प्रबंधक, सोसायटी प्रबंधक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, लिपिक और चपरासी आदि पदों पर कार्यरत हैं। उत्तरवादी सं. 4 एक "सहकारी बैंक" है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1959 की धारा 15 (घ) (ख) के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 2 (घ-**i**) के अधीन परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों को छत्तीसगढ़ सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा (नियोजन के निबंधन एवं सेवा शर्तें) नियम, 1982 (संक्षेप में, "सेवा नियम") के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। उपरोक्त सेवा नियम अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन पंजीयक द्वारा जारी किए गए हैं। वर्ष 2016 में, राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ (संक्षेप में, 'एन.ए.एफ.एस.सी.ओ.बी.'/ नाफस्कोब) सहित विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संक्षेप में, 'नाबार्ड') के अध्यक्ष ने नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक श्री आर. अमलोरपवनाथन की अध्यक्षता में "सीबीएस के बाद के पर्यावरण में एस.टी.सी.सी.एस. के मानव संसाधन के मूल्यांकन के लिए समिति" (संक्षेप में, "ए.पी.एन. समिति") का गठन किया। उपरोक्त समिति ने 10.10.2017 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और सिफारिश की कि सहकारी बैंकों द्वारा व्यय प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए, परन्तु कहीं भी यह सिफारिश नहीं की गई कि मौजूदा कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि को उनके प्रदर्शन के आधार पर रोक दिया जाए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या अस्वीकार कर दिया जाए। चूंकि बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान में मूल्य सूचकांक वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों के पंजीयक ने 15.06.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से बैंकों की वित्तीय शर्तों, अवशोषण कोण, राष्ट्रीयकृत बैंकों में दिए गए वेतनमान और नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार बैंकवार, पश्चात वेतन निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। उपरोक्त समिति ने 19.09.2018 तथा 03.10.2018 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिरिक्त पंजीयक ने 22.02.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से 6 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व अन्य कारकों जैसे शासकीय कर्मचारियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और बैंकों की वित्तीय स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए बैंक के सेवा नियमों और वेतनमान में संसोधन के लिए उचित और न्यायोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए व एक अन्य 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। उपरोक्त 5 सदस्यीय समिति ने 28.02.2019 पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।इस तरह के प्रतिवेदन के आधार पर पंजीयक ने अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और दिनांक 06.03.2019 के आदेश के माध्यम से सेवा नियमों में संशोधन किया।इसी तरह के आदेश पंजीयक द्वारा भी जारी किए गए थे, जो वर्तमान मामलों में सुसंगत नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मई 2019 के महीने में, नाबार्ड ने एक परिपत्र सं. 131/**IDD**-03/2019 जारी किया और उत्तरवादियों को निर्देश दिया कि वे बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ प्रतिफल करने और अपनाने के लिए ए.पी.एन. समिति के प्रतिवेदन को बैंक बोर्ड के समक्ष रखें।इस बीच, राज्य सरकार ने दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से श्री धनंजय देवांगन आई. ए. एस. को छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों के कुलसचिव के रूप में नियुक्त किया और इस आशय का दिनांक 1 का सूचना पत्र जारी किया गया। उपरोक्त पंजीयक ने 06.01.2020 को आक्षेपित आदेश सं. साख-2/**CCB**/60/2019 कथित रूप से अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन सेवा नियमों के नियम 21 (6) में निर्धारित परिशिष्ट को प्रतिस्थापित करते हुए और उसमें

अधिरोपित गई शर्तों के अधीन वेतन पुनरीक्षण करते हुए पारित किया। पंजीयक ने उपरोक्त 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 15.11.2019 को प्रस्तुत प्रतिवेदन का उल्लेख किया। उपरोक्त आदेश अधिनियम की धारा 95 के अधीन अनिवार्य वैधानिक अनुपालन के अधीन है परन्तु पंजीयक द्वारा इस तरह के किसी भी अनुपालन की प्रतीक्षा किए बिना, उत्तरवादी-बैंक ने दिनांक 15.01.2020 की अपनी बोर्ड बैठक में इसे स्वीकार कर लिया है। उपरोक्त पंजीयक श्री धनंजय देवांगन आई. ए. एस. ने विहित अधिकारी के रूप में 15.01.2020 दिनांकित बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बैंक के बोर्ड सदस्यों को 06.01.2020 दिनांकित उनके आदेश को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, उत्तरवादी-बैंक द्वारा 22.01.2020 दिनांकित आदेश सं. स्थापना/वेतन/2019-20/3714 के माध्यम से आक्षेपित आदेश जारी किया गया है, जिसके द्वारा अधिनियम के अधीन किसी भी अधिकारिता या प्राधिकार के बिना बैंक ने याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और आदेश के खंड 7 के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि याचिकाकर्ताओं सहित कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतनवृद्धि उत्तरवादी-बैंक की प्रबंध समिति द्वारा किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन पर निर्भर होगी और उसके अधीन होगी।कर्मचारियों को उत्तरवादी-बैंक द्वारा अपने विकल्प फॉर्म जमा करने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक पूर्ववर्ती शर्त बन गई है।याचिकाकर्ताओं ने इस उम्मीद में विकल्प प्रप्रारूप भी जमा किए हैं कि उनकी भविष्य की वार्षिक वेतनवृद्धि (01.04.2021 के प्रभाव से) इस तरह के विकल्प प्रारूप के अभाव में बाधित नहीं हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ताओं का यह और प्रकरण है कि उन्हें 01.04.2021 पर वार्षिक वेतनवृद्धि तब नहीं प्रदान करना थी जब यह वैधानिक रूप से देय हो गया था। 29-30.04.2021 पर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ ने पंजीयक से संपर्क किया और वार्षिक वेतनवृद्धि को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसे सेवा नियम 12 के नियम 21 (2) के विपरीत रोक दिया गया था। संघ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वार्षिक वेतनवृद्धि

रोकने का प्रतिबंध केवल बैंक की रायपुर शाखा में लागू किया गया है व अन्य शाखाओं में वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करना जा रही है, परन्तु पंजीयक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यद्यपि, दिनांक 07.09.2021 की बोर्ड बैठक में, बैंक के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि दिनांक 06.01.2020 के आदेश के माध्यम से अधिरोपित गई शर्त में ढील देने का प्रस्ताव पंजीयक को भेजा जाए। तदानुसार, उत्तरवादी-बैंक के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुपालन में प्रस्ताव पंजीयक को 21.09.2021 और 17.12.2021 पर भेजे गए थे, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं के कर्मचारी संघ ने राज्य के अधिकारियों का अभ्यावेदन करना जारी रखा और 09.02.2022 को मुख्यमंत्री को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए, परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।

9. इस बीच, उत्तरवादी-बैंक के कुछ कर्मचारियों ने रिट याचिका (सेवा) सं.5783/2022 वाली एक रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें 12.09.2022 दिनांकित आदेश के माध्यम से, राज्य के साथ-साथ उत्तरवादी-बैंक को भी निर्देश दिया गया है कि वे दिनांकित 06.01.2020 के उपरोक्त संसोधन आदेश के पीछे के भौतिक प्रतिफल को दर्शाते हुए विस्तृत शपथ पत्र दायर करें।इस बीच, उत्तरवादी सं. 2 ने दिनांक 15.03.2023 का आक्षेपित आदेश जारी किया है, जिसके द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि के प्रावधान को हटा दिया गया है और केवल उत्तरवादी- बैंक के विवेक पर वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. रिट याचिका (सेवा) सं. 2171/2024 में याचिकाकर्ताओं ने पहले सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा जारी 06.01.2020 दिनांकित उपरोक्त आदेश को अलग-अलग रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी थी परन्तु बाद की घटनाओं के कारण, रिट याचिकाओं का निपटान राज्य सरकार से संपर्क करने के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए 24.11.2023 के आदेश के माध्यम से किया गया। राज्य सरकार ने 11.03.2024 दिनांकित सामान्य आदेश के माध्यम से 06.01.2020 दिनांकित के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस आदेश को भी अन्य आदेशों के साथ-साथ चुनौती दी जा रही है।

11. रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण शर्मा और श्री गगन तिवारी, संबंधित ने संयुक्त रूप से निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी-बैंक के नियमित कर्मचारी हैं और उनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा (नियोजन की निबंधन एवं सेवा शर्तें) निय, 1982 नामक वैधानिक नियमों द्वारा शासित हैं और उपरोक्त नियमों, विशेष रूप से नियम 21 के अनुसार, वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान किया जाना उनकी वेतन-संरचना का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा है कि वर्ष 2016 में याचिकाकर्ताओं ने नाबार्ड के उपाध्यक्ष श्री आर अमलोरपवनाथन की अध्यक्षता में नाबार्ड के अध्यक्ष नाफस्कोब सहित विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ए.पी.एन. समिति का गठन किया था। उपरोक्त समिति ने 10.10.2017 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उपरोक्त समिति ने यद्यपि सहकारी बैंकों द्वारा किए जाने वाले व्यय प्रभावी उपायों की सिफारिश की, परन्तु कहीं भी यह सिफारिश नहीं की कि मौजूदा कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि को उनके प्रदर्शन के आधार पर रोक दिया जाए या अस्वीकार कर दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि पंजीयक, सहकारी समितियों ने उपरोक्त ए.पी.एन. समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए 06.01.2020 दिनांकित आक्षेपित आदेश जारी किया, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा नियमों में संशोधन किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 31.03.2021 तक ए.पी.एन. समिति की सिफारिशों के अनुसार, स्थापना व्यय को सकल आय के 15 प्रतिशत और बैंक की कार्यात्मक पूंजी के 1.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर लाया जाए। ऐसे मानदंडों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षक द्वारा एक विशिष्ट नोट का उल्लेख किया जाना चाहिए और यदि मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान स्वयमेव प्रतिबंधित हो जाएगा और मानदंडों को पूरा करने के बाद ही वार्षिक वेतनवृद्धि की अनुमति होगी। आगे यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी-बैंक ने 15.01.2020 दिनांकित बैठक में, इसके निदेशक मंडल ने आदेश का पालन किया और 22.01.2020 दिनांकित दूसरे आक्षेपित आदेश जारी किया, जिसमें विशेष रूप से खंड 7 के अधीन, बैंक ने निर्णय लिया है कि 31.03.2021 के बाद, कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि बैंक की प्रबंध समिति द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन के बाद ही दी जाएगी। इन आदेशों के परिणामस्वरूप, वार्षिक वेतनवृद्धि जो याचिकाकर्ताओं को 01.04.2021 को देय थी, प्रदान नहीं की गई।

12. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि कर्मचारी संघ ने 01.04.2021 के प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धि से इनकार करने के मुद्दे को उठाया और बैंक के पंजीयक और सक्षम प्राधिकरण के समक्ष 29.04.2021 दिनांकित विस्तृत अभ्यावेदन सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। उत्तरवादी-बैंक ने भी अपने निदेशक मंडल की 07.09.2021 दिनांकित बैठक में सेवा नियमों में वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में अधिरोपित गए प्रतिबंधों में ढील देने के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक को प्रस्ताव भेजे जाने की सिफारिश की। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उत्तरवादी पंजीयक, सहकारी समितियँ द्वारा 15.03.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश के माध्यम से सेवा नियमों के साथ संशोधित अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन शक्तियों का पुनः प्रयोग करते हुए और नियम 21 को निरसित कर, इस प्रावधान को प्रतिस्थापित किया गया है कि वार्षिक वेतनवृद्धि का प्रदान करना बैंक के निदेशक मंडल के विवेक के अधीन होगा, जो पहले याचिकाकर्ताओं के नियमित वेतन का घटक था। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकार पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए उपरोक्त आदेशों 06.01.2020 और 15.03.2023 के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी किए गए 22.01.2020 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 11.03.2024 दिनांकित आदेश द्वारा अभ्यावेदन की अस्वीकृति को अतिरिक्त चुनौती दी गई है। **2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 401** में प्रतिवेदित **निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) के. पी. टी. सी. एल. व अन्य बनाम सी. पी. मुण्डिनमानी व अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा **(2007) 14 एस. सी. सी. 234** में प्रतिवेदित **बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट मजदूर संघ व एक अन्य बनाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम व अन्य** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा पारित निर्णयों तथा **1983 एम. पी. एल. जे. 461** में प्रतिवेदित **हेमंत कुमार गंगा प्रसाद गुप्ता बनाम अध्यक्ष, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा व अन्य** तथा **1988 एम.पी.एल.जे.** में प्रतिवेदित **201 हुकुमचंद मिल्स कर्मचारी पारस्पर सहकारी संस्था व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य** के प्रकरणों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

13. दूसरी ओर, उत्तरवादी- राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का जोरदार विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी सहकारी समितियों छत्तीसगढ़ द्वारा पारित 15.03.2023 और 06.01.2020 दिनांकित आदेशों को चुनौती दे रहे हैं और साथ ही उत्तरवादी सं. 4/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा पारित 20.01.2020 दिनांकित आदेश को भी इस आधार पर चुनौती दे रहे हैं कि इस तरह के आदेश उत्तरवादी सं. 2 द्वारा संशोधित नियोजन शर्त के संबंध में जारी किए गए थे, उनका विशेष रूप से अधिनियम की 95 उप-धारा 3 के अनुसार अनुपालन नहीं किया गया है। आगे वे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं जिला सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियमों, विशेष रूप से नियम 21 (2) के सेवा नियमों से शासित होती हैं, जो विशेष रूप से इंगित करता है कि बैंक के कर्मचारी की वेतनवृद्धि को केवल सेवा नियमों की शर्त 51-क पर नहीं रोका जा सकता है, परन्तु संसोधन का आदेश उत्तरवादी सं. 2 द्वारा पारित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 95 (3) के अधीन याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए आधार का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि धारा 95 (3) अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के बारे में बात करती है, इसलिए याचिकाकर्ताओं का तर्क बहुत रिष्टिकारक और भ्रामक है। उन्होंने आगे कहा कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक या विभागीय कार्यवाही चल रही है, परन्तु वर्तमान याचिकाओं में, विशेष व्यक्ति/कर्मचारी की सजा के रूप में वेतनवृद्धि को नहीं रोका गया है। यह तर्क किया गया है कि आक्षेपित सेवा नियम बैंक की अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए बनाए गए हैं और यदि सहकारी केंद्रीय बैंक की हालत बिगड़ती है, तो कर्मचारी को अन्य वार्षिक वेतनवृद्धि के समय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इस प्रकार, कर्मचारी को सजा नहीं दी गई है, अतः ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ताओं का तर्क विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं होगा। उन्होंने **04.01.2016 को निर्णित रिट याचिका (सेवा) सं. 3550/2013, एम. एल. देवांगन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उत्तरवादी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप दुबे ने निवेदन किया कि उत्तरवादी- बैंक ने अपनी 07.09.2021 दिनांकित बैठक में बैंक के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिया है और विशेष रूप से प्रस्ताव पारित किया है। इसके बाद पुनः 07.02.2022 को, उत्तरवादी-बैंक ने पंजीयक से वार्षिक वेतनवृद्धि देने के प्रावधान में ढील देने का अनुरोध किया है। यह तर्क दिया गया है कि पंजीयक के पास अधिनियम की धारा 55 के अधीन शक्ति है, अतः यह स्पष्ट है कि पंजीयक अधिनियम की धारा 55 के अधीन अधिकारिता को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यह भी तर्क दिया गया है कि सहकारी समितियों के पंजीयक ने अधिकार का प्रयोग करते हुए, 27.10.2017 दिनांकित आदेश जारी किए कर कर्मचारी सेवा नियमों के अध्याय (2) के कण्डिका-3 के बाद कण्डिका-4 में संशोधन किया, जो अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन निर्धारित है, जो याचिकाकर्ताओं-कर्मचारियों पर लागू अधिनियमों और नियमों के अनुरूप है। उन्होंने **02.02.2024** को निर्णित **रिट अपील सं. 338/2023, एस. पी. चंद्राकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**

के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए में पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और संबंधित दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी के साथ परिशीलन किया है।

16. याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त आदेशों की वैधता और मान्यता को मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन आधारों पर चुनौती दी हैः-

(i) पंजीयक, सहकारी समितियों के आक्षेपित आदेश अधिनियम की धारा 55 (1) सह पठित धारा 95(3) के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं।

(ii) पंजीयक, सहकारी समितियों के आक्षेपित आदेश सेवा नियमों के नियम 21 (2) और 57 का उल्लंघन करते हैं।

(iii) पंजीयक, सहकारी समितियों और बैंक द्वारा जारी किए गए आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. पहले आधार के संबंध में, यह तर्क किया गया है कि पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए 06.01.2020 व 15.03.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश अधिनियम की धारा 95(3) द्वारा अनिवार्य उपबंधों के विपरीत हैं, जिसमें प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियमों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। चूंकि आक्षेपित आदेश सेवा नियमों में संसोधन की प्रकृति में पंजीयक द्वारा जारी किए गए हैं, इसलिए अधिनियम के अधीन निर्धारित आवश्यकता का विधि के अनुसार सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। नियमों का पालन किया जाना चाहिए जो प्रबल हुआ है और ऐसी आवश्यकता के अनुपालन के बिना आक्षेपित आदेशों में वैधानिक बल नहीं

होगा जिससे याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों में कोई बदलाव किया जा सके जैसे कि वार्षिक वेतनवृद्धि से इनकार।

18. **(2023) 10 एस. सी. सी. 461** में प्रतिवेदित **धर्मिन बाई कश्यप बनाम बबली साहू व अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने वैधानिक उपचार के मुद्दे पर विचार करते हुए, जहां एक कानून द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया गया है, जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है, परिच्छेद-13 में निम्नानुसार टिप्पणी की हैः-

	"13. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां एक कानून द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है, तो कानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाया जाना चाहिए। यह भी सुस्थापित हितकारी सिद्धांत है कि यदि कोई कानून किसी विशेष तरीके से किए जाने वाले काम का किया जाना उपबंधित करती है, तो उसे उस तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। **चेरुकुरी मणि बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (2015) 13 एस. सी. सी. 722, में यह देखा गया है कि : (एस. सी. सी. पृ. 727, कंडिका 14)**	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"14. **"**जहां विधि किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी विशेष तरीके से करने के लिए निर्धारित करता है, वहां यह निर्धारित प्रक्रिया से विचलित हुए बिना विधि के उपबंधों का पालन करते हुए उसी तरीके से किया जाएगा।"

19. इसके अलावा, दूसरे आधार के संबंध में कि आक्षेपित आदेश सेवा नियमों के विपरीत हैं, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि सेवा नियमों के नियम 21 के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान किया जाना याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक अर्जित अधिकार है, जो सेवा की अवधि के संतोषजनक समापन पर हर साल प्राप्त होता है। उक्त नियम 21 (2) में स्पष्ट रूप से एक वैधानिक बाधा है कि नियम 57 के अधीन सजा के मामलों के अलावा किसी भी प्रकरण में वार्षिक वेतनवृद्धि से इनकार नहीं किया जाएगा। अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय पंजीयक द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि को रोकने में इस तरह के वैधानिक निषेध की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

20. **निदेशक (प्रशासन एवं मानव संसाधन) के.पी.टी.सी.एल. (पूर्वोक्त)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शासकीय कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा प्रदान करते हुए उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करना जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को सालाना वेतनवृद्धि दी जाती है जब तक कि इस तरह की वेतनवृद्धि को सजा के उपाय के रूप में या दक्षता के साथ नहीं जोड़ा जाता है। इस प्रकार पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश दंडात्मक प्रकृति के हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. तीसरा, याचिकाकर्ताओं ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी है क्योंकि आक्षेपित आदेश बिना किसी कारण बताओ नोटिस या याचिकाकर्ता कर्मचारियों को सुने बिना पारित किए गए हैं।

22. इन याचिकाओं में किए गए निवेदनों पर विचार करने हेतु ध्यान में रखे जाने वाला आवश्यक सुसंगत विधिक उपबंध धारा 55 (1) है जो निम्नानुसार हैः

> **"55. सोसाइटियों में नियोजन की शर्तों को निर्धारित करने की पंजीयक की शक्ति-**

(1) पंजीयक समय-समय पर किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग में नियोजन के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम बना सकता है और सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग, जिन पर नियोजन के ऐसे नियम और शर्तें लागू होती हैं, उस आदेश का पालन करेगा जो इस संबंध में पंजीयक द्वारा जारी किया जा सकता है।"

23. धारा 95 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उप-धारा 95 (2) (**x**) राज्य सरकार को **"समिति के सदस्यों और सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के कर्मचारियों के लिए योग्यताएं और सेवा की शर्तें निर्धारित करें जिनके अधीन व्यक्तियों को सोसाइटी द्वारा नियोजित किया जा सकता है"** हेतु नियम बनाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए पंजीयक एकमात्र प्राधिकारी नहीं है। राज्य सरकार पंजीयक से ऊपर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. राज्य/पंजीयक की उपरोक्त शक्ति बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के स्वतंत्र विवेकाधीन शक्ति नहीं है बल्कि यह अधिनियम की धारा 95(3) के अधीन आवश्यकता निर्धारित करने के तरीके से लोगों की इच्छा के अधीन है जो निम्नानुसार हैः-

"95. नियम बनाने की शक्ति- xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियमों को विधानसभा के पर रखा जाएगा।"

25. **हेमंत कुमार गंगा प्रसाद गुप्ता** (पूर्वोक्त) **के मामले में** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अधिनियम की धारा 55(1) के अधीन पंजीयक की उपरोक्त नियम बनाने की शक्ति पर विचार कर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "4.... पंजीयक की शक्ति पर दूसरी रोक धारा 95 (3) के अधीन निर्धारित आवश्यकता द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यद्यपि धारा 95 की उप-धारा (1) एवं (2) नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है, धारा 95 की उप-धारा (3) का दायरा व्यापक है जो अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियमों को संदर्भित करता है और उन्हें विधान सभा के पटल पर रखने की अपेक्षा करता है। उप-धारा (3), हमारे मत में, धारा 55 के अधीन पंजीयक द्वारा बनाए गए नियमों को सम्मिलित करेगी। एक अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को रखने का प्रावधान नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर विधानमंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली नियंत्रण की एक विधि है और यदि ऐसा नियंत्रण रखा जाता है तो यह अभिनिर्धारित किया जाता है गया है कि नियम बनाने की शक्ति अत्यधिक प्रत्यायोजन से प्रभावित नहीं हो सकती है : एन. के. पापिया एंड संस बनाम आबकारी आयुक्त। [(1975) 1 एस.सी.सी. 492 : ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1007, पृ. 1011.]....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. इसके अलावा, **हुकुमचंद मिल्स कर्मचारी पारस्पर सहकारी संस्था** (पूर्वोक्त) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अधिनियम की धारा 95(3) के उपबंधों के गैर- अनुपालन के प्रभाव को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"10. विधान सभा के पटल पर रखे जाने के बाद नियमों को जिस तरीके से निपटाया जाना है, वह मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 24-क में पाई जाती है। अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) के उपबंधों, मध्य प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 और 24-ए को डी.एस. गरेवाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में एक साथ पढ़ने पर, हम इस मत पर पहुंचते हैं कि जो कानूनी स्थिति उभरती है, उसे इस प्रकार बताया जा सकता है:

नियमों को लागू करने के लिए, राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें तैयार करना होगा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के पटल पर नियम रखे जाते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यकताएं नियम के संसोधन पर भी लागू होंगी। एक बार जब राज्य सरकार इन आवश्यकताओं का पालन कर लेती है, अर्थात् उसने नियम तैयार कर लिए हैं और उन्हें विधानसभा के पटल पर रख दिया है, तो नियम लागू हो जाते हैं। इस प्रकार बनाए गए नियम जो विधान सभा के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद लागू हो गए हैं, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि विधान सभा एक प्रस्ताव पारित नहीं करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या उसमें कोई संशोधन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई संकल्प स्वीकार किया जाता है, तो उसके बाद नियम, जैसा भी प्रकरण हो, केवल संशोधित प्रारूप में ही प्रभावी नहीं होंगे या प्रभावी नहीं होंगे।' यद्यपि,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 24-क के परंतुक को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना उस नियम के अधीन पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

27. अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले पंजीयक को विधि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जब इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के अर्जित अधिकार छीन लिए जाते हैं। अभिलेख पर यह दर्शाने हेतु कुछ भी नहीं है कि एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं के अर्जित अधिकारों को छीनने से पहले उत्तरवादियों द्वारा ऐसी विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. **निदेशक (प्रशासन एवं मानव संसाधन) के.पी.टी.सी.एल.** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतनवृद्धि किसी उपलब्धि से संबंधित नहीं होती है बल्कि अच्छे आचरण के साथ सेवा की एक वर्ष पूर्ण करने से संबंधित होती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> **"**18... एक शासकीय कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा प्रदान करते हुए उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को सालाना वेतनवृद्धि दी जाती है जब तक कि इस तरह की वेतनवृद्धि को सजा के रूप में नहीं रोका जाता है या दक्षता से जोड़ा जाता है। अतः वेतनवृद्धि एक वर्ष/निर्दिष्ट अवधि में अच्छे आचरण के साथ सेवा प्रदान करने के लिए अर्जित की जाती है।अतः जिस क्षण कोई शासकीय कर्मचारी अच्छे आचरण के साथ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है, वह समय पैमाने पर वार्षिक वेतनवृद्धि का हकदार होता है और यह कहा जा

सकता है कि उसने अच्छे आचरण के साथ सेवा की निर्दिष्ट अवधि प्रदान करने के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की है। अतः वह कुशलतापूर्वक अच्छे आचरण के साथ एक निर्दिष्ट अवधि (एक वर्ष) के लिए सेवा करने की संभावना पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ पाने का हकदार है।

29. इस प्रकार, रजिस्ट्रार (पंजीयक) सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए 06.01.2020 एवं 15.03.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश विधि की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन करते हैं और वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों में कोई बदलाव करने के लिए वैधानिक बल नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. स्वीकृत तौर पर, याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों को वैधानिक सेवा नियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। सेवा नियमों का नियम 21(2) वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रदाय उपबंधित करता है। सुलभ संदर्भ हेतु सेवा नियमों के सुसंगत नियम 21(2) को नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः-

"21. कर्मचारियों के वेतन भत्ते भुगतान करने बाबत-

XXX XXX

(दो) वृद्धिशील वेतनमान में वेतनवृद्धि सदैव उक्त वेतनमान पर निर्दिष्ट सेवा अवधि की समाप्ति पर उपार्जित (**Accrue**) होगी, चाहे ऐसी सेवा स्थायी हो अस्थायी। पदावनती की दशा में किसी कर्मचारी द्वारा उच्चतर श्रेणी में की गई सक्रीय सेवा को उस कर्मचारी की मूल श्रेणी में वृद्धिशील वेतनमान में वेतनवृद्धि देने हेतु गिना जाएगा। यदि वेतनवृद्धि के दिनांक पर कर्मचारी बिना वेतन के अवकाश पर हो तो उसकी वेतनवृद्धि उसके पुनः कार्यरत होने के दिनांक से स्वीकृत की जावेगी। यह केवल उसी वर्ष के

> लिए प्रभावशील होगी तथा आगामी वर्ष में वेतनवृद्धि की तिथि की पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, कर्मचारियों की वेतनवृद्धि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावेगी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की वेतनवृद्धि के प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जावेंगे। सेवानियम 57(एक) के अंतर्गत दिए जाने वाले दण्ड के सिवाय किसी अन्य स्थिति में कर्मचारी की वेतनवृद्धि नहीं रोकी जावेगी।"

31. पंजीयक ने 06.01.2020 दिनांकित आक्षेपित आदेश पारित करते समय सेवा नियमों के नियम 57 के अधीन उपबंधित प्रतिबंध पर विचार नहीं किया है और याचिकाकर्ताओं के अर्जित अधिकार को सीधे प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश सेवा नियमों के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. **बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट मजदूर संघ** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिच्छेद 35 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "35. सरकार या उसका साधन अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नहीं बदल सकता है और पूर्वाग्रह पैदा करने वाले ऐसे किसी भी परिवर्तन को पूर्व-निर्णायक सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रभावित नहीं किया जा सकता है और यह मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा ....."

33. यद्यपि विधि बनाने वाले प्राधिकरण के लिए वैधानिक उपबंध तैयार करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना पूर्व शर्त नहीं है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में पंजीयक अधिनियम की धारा 55 (1) के अधीन आदेश जारी कर रहा था जो अधिनियम की धारा 95(3) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद ही विधि का रूप लेता है। राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु आदेश भेजने से पहले पंजीयक को सभी प्रभावित

पक्षों को सुनना चाहिए था। पंजीयक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी/याचिकाकर्ता अर्जित अधिकारों से वंचित हो गए हैं।

34. प्रत्यर्थियों द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत अधिनियम की धारा 95 (3) के अधीन प्रक्रिया के गैर-अनुपालन और सेवा नियमों के नियम 21 (2) के अधीन विशिष्ट वैधानिक प्रतिबंध के बारे में प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, जो केवल आदेश के माध्यम से वार्षिक वेतनवृद्धि से इनकार करता है/को रोकता है। इस प्रकार, वे वर्तमान याचिकाओं के प्रयोजनों के लिए सुसंगत नहीं हैं। अधिनियम की धारा 95(3) का गैर-अनुपालन और सेवा नियमों के नियम 21 (2) के अधीन प्रतिबंध घातक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. पूरे मामले पर विचार करने के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यालालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्व-उद्धृत निर्णयों, जैसे **निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) के.पी.टी.सी.एल.** (पूर्वोक्त)**, बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट मजदूर संघ** (पूर्वोक्त)**, हेमंत कुमार गंगा प्रसाद गुप्ता** (पूर्वोक्त)**, हुकुमचंद मिल्स कर्मचारी सहकारी संस्था** (पूर्वोक्त) तथा **धर्मिन बाई कश्यप** (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, पंजीयक सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए 15.03.2023 एवं 06.01.2020 दिनांकित आक्षेपित आदेश तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए 22.01.2020 दिनांकित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं क्योंकि वे अधिनियम के वैधानिक उपबंध, सेवा नियम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। 06.01.2020 दिनांकित आदेश को बरकरार रखते हुए 11.03.2024 दिनांकित आदेश के माध्यम से अभ्यावेदन की अस्वीकृति भी विधि के विपरीत है और इसे एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता 01.04.2021 के प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धि के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं की वार्षिक वेतनवृद्धि उन्मुक्त करने की कवायद इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरी की जाए।

36. अंत में, इस न्यायालय के सुविचारित मत में, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन विधि के चार कोनों और सर्वोच्च न्यालालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा उपरोक्त उद्धृत निर्णयों में निर्धारित मापदंडों के भीतर असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप के लिए एक प्रकरण बनाया है।

37. उपर्युक्त विधिक विश्लेषण के परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं को ऊपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। वाद-व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**